न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 29/2020

किशोरीलाल पुत्र श्री स्व. चुन्नीलाल जांगिड़, निवासी ढाकामण्डी, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोंडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार बुहाना
उनवानी सरकार बनाम किशोरी अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0नं0 29/2020 निर्णय दिनांक 01.07.2020

उपस्थितिः—

1 श्री संदीप काजला, एडवोकेट ———— ————— ————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट——————————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 13.08.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 01.07.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम किशोरी मु0नं0 29/2020 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार बुहाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— हाल खसरा नंबर 175 रकबा 4.17 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर किस्म गैर मु0 जोहड़ सरहद राजस्व ग्राम ढाकामण्डी पर अपीलांट द्वारा तथाकथित रूप से छड़ी व रूड़ी डालकर अतिक्रमण करने पर अपीलांट को अदालत मातहत ने अतिक्रमी घोषित कर बेदखली बाबत दिनांक 01.07.2020 को आलौच्य निर्णय पारित किया है जिससे व्यथित होकर मौजुदा अपील पेश कर निवेदन किया कि— अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को दिनांक 25.06.2020 को जवाब नोटिस हेतु अन्तिम अवसर दिनांक 29.06.2020 की पेशी का दिया गया। दिनांक 29.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.13 19:39:16 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

06.2020 को अपीलान्ट ने जबाब नोटिस मय फोटो प्रति पट्टा पेश की। अधीनस्थ न्यायालय ने जबाब नोटिस के समर्थन में साक्ष्य का अवसर न देकर निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के जबाब नोटिस के तथ्यों पट्टा फोटो प्रति पर गौर किये बिना केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि का पट्टा पंचायत समिति बुहाना द्वारा दिनांक 30.01.1976 को नियमानुसार जारी किया गया था। इस प्रकार विवादित भूमि अपीलान्ट की पट्टेशुदा भूमि है तथा अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना का निर्णय प्रारम्भ से ही शून्य होने से अवैध है तथा निरस्त होने योग्य है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 01.07.2020 खारिज किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की जवाबदेही को नजरअंदाज किया है। हाल खसरा नंबर 175 रकबा 4.17 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर किस्म गैर मु0 जोहड़ सरहद राजस्व ग्राम ढाकामण्डी पर अपीलांट द्वारा तथाकथित रूप से छड़ी व रूड़ी डालकर अतिक्रमण करने पर अपीलांट को अदालत मातहत ने अतिक्रमी घोषित कर बेदखली बाबत दिनांक 01.07.2020 को आलौच्य निर्णय पारित किया है जिससे व्यथित होकर मौजुदा अपील पेश कर निवेदन किया कि– अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को दिनांक 25.06.2020 को जवाब नोटिस हेतु अन्तिम अवसर दिनांक 29.06.2020 की पेशी का दिया गया। दिनांक 29.06.2020 को अपीलान्ट ने जबाब नोटिस मय फोटो प्रति पट्टा पेश की। अधीनस्थ न्यायालय ने जबाब नोटिस के समर्थन में साक्ष्य का अवसर न देकर निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के जबाब नोटिस के तथ्यों पट्टा फोटो प्रति पर गौर किये बिना केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि का पट्टा पंचायत समिति बुहाना द्वारा दिनांक 30.01.1976 को नियमानुसार जारी किया गया था। इस प्रकार विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.13 19:39:16 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

भूमि अपीलान्ट की पट्टेशुदा भूमि है तथा अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना का निर्णय प्रारम्भ से ही शून्य होने से अवैध है तथा निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 01.07.2020 खारिज किया जावे तथा अपने पक्ष समर्थन में आर.आर.डी मई 2006 हुकम सिंह व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य पेज 278 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम ढाकामण्डी की राजकीय भूमि खसरा नंबर 175 गै मु0 जोहड़ रकबा 04.17 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर भूमि किस्म गैर मुमकिन जोहड़ पर छड़ी व रूड़ी डालकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी झांझा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम ढाकामण्डी की राजकीय भूमि खसरा नंबर 175 गै मु0 जोहड़ रकबा 04.17 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर भूमि किस्म गैर मुमकिन जोहड़ पर छड़ी व रूड़ी डालकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है। विवादित भूमि की किस्म गैर मु0 जोहड़ दर्ज रिकार्ड है। ग्राम पंचायत को आबादी भूमि के अलावा जोहड़ की भूमियों पर पट्टे जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। माननीय राज उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में जोहड़ की भूमि नियमन योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे अ[illegible] भूमि पर अपीलांट का काब्जा वैद्य साबित होता हो। विवादित भूमि राजकीय गैर मु0 जोहड़ की [illegible] है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.13 19:39:16 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना का निर्णय दिनांक 01.07.2020 मु. नं. 29/20 सरकार बनाम किशोरीलाल यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 13.8.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.13 19:39:16 IST
Reason: SelfAttested